न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08 / 21 (2021 / 18) वाद पत्र

अनवान

1—लेहरू पिता प्रताप भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—22 / 07 / 2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राणास पटवार मण्डल आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में बिलानाम साबिक आराजी संख्या 281 / 1मी. रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसमें से गांव के कई व्यक्तियो के साथ वादी को उक्त आराजी से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 03.07.1987 को आवंटित की गई व मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया। वादी को आवंटित शुदा भूमि के बट्टा नम्बर 280 / 1 / 6 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि कायम कर दिये गये व जरिये नामान्तकरण संख्या 376 दर्ज कर आवंटित शुदा भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आवंटन करते समय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवंटन, रिपोर्ट पटवारी हल्का व आवंटन सलाहकार समिति की रिपोर्ट, मौका पर्चा पटवारी हल्का, कब्जा सिपूर्दगी मौका पर्चा, नक्शा मौका, सिपूर्दगी नामा व आंवटन आदेश सभी दस्तावेज में वादी का नाम लेहरू पिता प्रताप भील अकिंत किये गये है तथा इन पर अंगुठस्थ निशानी भी लेहरू भील के नाम से दर्ज है। आवंटन आदेशिका में वादी की जाति भील के बजाय नाई अकिंत कर लेहरू पिता प्रताप भील निवासी राणास के बजाय लेहरू पिता प्रताप नाई अकिंत कर दिया गया है जिससे नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी की जाति नाई दर्ज कर दी गई जिससे भूमि वादी के नाम पर नाई जाति से दर्ज चली आ रही है जबकि पुरे राणास में लेहरू पिता प्रताप नाई नाम का कोई व्यक्ति नही है। भूमि पर वक्त आंवटन से व कब्जा सिपूर्दगी से आज दिन तक वादी का कब्जा चला आ रहा है जिससे उक्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध हुआ जिससे ग्राम राणास का भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजी संख्या 280 / 1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन नम्बर 539 रकबा 0.38 है0 कायम किये गये। उक्त वर्णित भूमि पर वादी 33 वर्ष से निर्बाद रूप से काबिज है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय [illegible] जावें कि राजस्व ग्राम राणास के हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 539 रकबा 0.38 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लेहरू पिता प्रताप नाई के बजाय लेहरू पिता प्रताप भील दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 सरकार की

ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित जिन्होने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने जबाव में अंकन किया कि ग्राम राणास के आराजी संख्या 280/1 में वादी को 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटन की गई है और तत्कालीन समय में वादी को कब्जा सिपूर्द किया गया तभी से वादी वहां काबिज है। लेहरू पिता प्रताप भील के नाम से ही भूमि आंवटन हुई है, लेहरू पिता प्रताप नाई नाम का कोई व्यक्ति ग्राम राणास में निवासरत नही है।

वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत की ओर प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादी को भूमि आंवटन हुई जिसके कागजात कब्जा सिर्पूदगी आंवटन आदेश एवं जमाबंदी की नकल नामान्तकरण मिलान क्षैत्रफल आदि पेश किये जिसमें लेहरू पिता प्रताप भील का ही नाम दर्ज है। सेवन से जमाबन्दी में लेहरू पिता प्रताप भील के बजाय नाई दर्ज हो गया जिसे दुरस्त करवाया जावे। लेहरू पिता प्रताप नाई नाम का कोई व्यक्ति ग्राम राणास में नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन करने से पाया कि लेहरू पिता प्रताप भील के नाम ग्राम राणास की आराजी संख्या 280 में 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्ष 1987 में आवंटन की गई जिसके कागजात कब्जा सिर्पूदगी आंवटन आदेश एवं जमाबंदी की नकल नामान्तकरण मिलान क्षैत्रफल आदि वादी के नाम मिलान खाते है तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार लेहरू पिता प्रताप नाई नाम का कोई व्यक्ति राणास ग्राम में निवास नही करता है मौके पर कब्जा भी वादी का ही है। ग्राम पंचायत आशाहोली द्वारा भी लेहरू पिता प्रताप नाई नाम का कोई व्यक्ति नही होने की ताईद की गई है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 539 रकबा 0.38 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि घोषित की जाती है। जमाबन्दी में लेहरू पिता प्रताप नाई के बजाय लेहरू पिता प्रताप भील के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.07.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–08 / 21 (2021 / 18) वाद पत्र

अनवान

1–लेहरू पिता प्रताप भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 539 रकबा 0.38 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि घोषित की जाती है। जमाबन्दी में लेहरू पिता प्रताप नाई के बजाय लेहरू पिता प्रताप भील के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.07.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested